

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.16 (1)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक 3 फरवरी, 2014

:- आदेश :-

डॉ० श्याम एस. अग्रवाल, आई.ए.एस. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 29/2013 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.2016 है। राजकीय आवास संख्या 4, अस्पताल रोड़, जयपुर को अधिकारी आवास पूल में लिया जाकर उनके निवास हेतु "रिक्त होने की प्रत्याशा" में राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए आउट ऑफ टर्न के आधार पर नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

शर्त:-

1. आवास का कब्जा आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
5. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
 उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया)

(राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. डॉ० श्याम एस. अग्रवाल, आई.ए.एस. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

5. विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आईडी संख्या एफ 14000863 दिनांक 23.2.2014 के क्रम में।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
8. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर के आईडी संख्या 575/सीएस-1/2014 दिनांक 27.1.2014 के क्रम में।
9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- ✓ 10. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी हीराबाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
12. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर/हीराबाग, जयपुर।
15. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
16. सम्बन्धित अधिकारीगण।
17. निदेशक/उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
18. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (गुप'-4) विभाग।
19. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (समस्त अनुभाग 1, 3, 5, 6) विभाग।
20. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।

Dist. J. S. S. S.
वरिष्ठ शासन उप सचिव